मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/2223/MIS/NR-10/MGNREGA-MP/13 भोपाल, दिनांक 05/03/2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला – समस्त, (म.प्र.)

विषयः– एम.आई.एस. डाटा एण्ट्री का विश्लेषण कर त्रुटि सुधार करने बावत्।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में डाटा एण्ट्री में त्रुटियों के कारण एम.आई.एस. से त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होती है। एम.आई.एस. में दर्ज प्रगति के आधार पर जिलों को तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि जारी की जाती है। अतः एम.आई.एस. में दर्ज जानकारी त्रुटि रहित होना अत्यन्त आवश्यक है।

राज्य स्तर से एम.आई.एस. डाटा एण्ट्री के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्यों तथा उन पर दर्ज व्यय, कार्य पूर्णता तथा मस्टररोल बिल/व्हाउचर, प्रशासनिक व्यय, फण्ड फ्लों की डाटा एण्ट्री में अनेक त्रुटियां हैं।

अतः योजनांतर्गत नरेगा सॉफ्ट में दर्ज जानकारी का जिला स्तर पर वरिष्ट डाटा मैनेजर के माध्यम से विश्लेषण/परीक्षण करायें तथा एम.आई.एस. की विश्लेषण रिपोर्ट को परीक्षण कर दिनांक 15 मार्च 2013 तक रिपोर्ट से परिषद मुख्यालय को अवगत करायें। यदि एम.आई.एस. में डाटा में त्रुटि जानबूझकर की गई है तो संबंधित एजेंसी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करें तथा विसंगति सुधार कराना सुनिश्चित करें।

21-2-13

(डॉ रवीन्द्र पस्तौर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल